<u>न्यायालय–सिविल न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)</u> (पीठासीन अधिकारी–धन कुमार कुड़ोपा)

<u>व्यवहार वाद क0-26ए/2011</u> <u>संस्थापित दिनांक-13.09.2010</u> फाईलिंग नं. 23350400003210

- 1. रामजी पिता अन्तया, उम्र 85 वर्ष, जाति महार,(मृत)
- अ. लक्ष्मीबाई पिता रामजी पित नंदिकशोर वाईकर साकिन आर्यनगर बोरडी नाका देवदत्त सोसायटी प्लाट नं. २ नागपूर (महाराष्ट्र)
- ब. धनवन्तीबाई पिता रामजी उम्र 55 वर्ष, पित शंकर अचलेकर, साकिन कालापाठा शिवशक्ति नागदेव मंदीर के पास बैतूल म०प्र०।
- 2. झनकलाल पिता रामजी, उम्र 65 वर्ष, जाति महार,
- 3. देवीराम पिता झनकलाल, उम्र 40 वर्ष, जाति महार,
- देवकी जौजे झनकलाल, उम्र 58 वर्ष, जाति महार, सभी जाति महार, सािकन देवगांव, पोस्ट खापा खतेड़ा, तहसील आमला, जिला बैतूल म0प्र0।

----वादीगण

-:: विरूद्ध ::-

- 1— श्रीमती तुरसा बेवा धनराज, उम्र 40 वर्ष, साकिन—देवगांव, पोष्ट खापाखतेड़ा, तहसील आमला, जिला बैतूल म0प्र0।
- 2— श्रीमती भामा पिता धनराज, उम्र 20 वर्ष, पति टीकाराम, नीरमले, साकिन—खेड़ी(भैंसदेही) पोष्ट मलकापुर, तहसील—जिला बैतूल म0प्र0।
- 3- म0प्र0 शासन कलेक्टर, बैतूल जिला बैतूल म0प्र0।

---<u>प्रतिवादीगण</u>

—:: निर्णय ::— (आज दिनांक 08.08.2016 को घोषित)

1— वादीगण द्वारा विवादित भूमि मौजा दुरगवाडा, प०ह०नं० 9/32,

तहसील आमला, जिला बैतूल के स्थित भूमि खसरा नं. 32/1, नया खसरा नं. 149 रकबा 5.35 एकड में से 90 डिसमिल तथा खसरा नं. 119/1 रकबा 0.100 आरे भूमि का स्वत्व कब्जा तथा अंतरिम लाभ हेतु यह दावा प्रस्तुत किया है।

- 2— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि झनकलाल रामजी का पुत्र है देवीराम झनकलाल का पुत्र है एवं देवकीबाई झनकलाल की पत्नी है। पुराना खसरा नं. 32/1 रकबा 5.35 जिसका नया नं. 149 रकबा 2.165/5.35 मौजा दुरगवाड़ा प0ह0नं0 29/32 तहसील आमला, जिला बैतूल में स्थित है।
- 3— वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम दुरगवाडा, प०ह०नं० 9/32 तहसील आमला, जिला बैतूल में स्थित भूमि पुराना खसरा नं. 32/1 नया खसरा नं. 149 रकबा 5.35 भूमि खानदानी भूमि है। उक्त भूमि नागो तथा अन्तया की शामिल सरीक सम्पत्ति अन्य सम्पत्तियों के अलावा थी जिनके मध्य पारिवारिक व्यवस्था के तहत् जमीन रकबा 90 डिसमिल अन्य जमीनों के साथ अन्तया को दी गई थी। क्योंकि उसी जमीन के पश्चिम में अन्तया की और भी जमीन थी तथा 4.45 डिसमिल जमीन नागो को अन्य जमीनों के साथ दी थी। जिस पर नागो और अन्तया अलग—अलग कब्जे में चले आ रहे है। खसरा नं. 32/1 के अलावा अन्य जमीनों को विवाद नहीं है उनका जिक्र करना आवश्यक नहीं है। बिरज ने उनका हिस्सा 4.45 बेचा था। राजस्व अधिकारियों की गलती के कारण राजस्व खातों में अन्तया और उनके वारसानों का नाम समय—समय पर दर्ज नहीं हुआ। नागो और अन्तया के मरने के बाद सम्पत्ति की देख रेख व व्यवस्था परिवार का कर्ता होने के नाते बिरज के द्वारा की जाती थी। क्योंकि बिरज संयुक्त हिन्दू परिवार का बड़ा व्यक्ति था।
- 4— वादीगण ने आगे अपने वाद पत्र में बताया है कि बिरज के द्वारा दिनांक 09.04.1956 को खुद व वली नाबालिक रामदास और दुलीचंद की ओर से पुराना खसरा नं. 32/1 रकबा 5.35 में से 4.45 लच्छू वल्द देवजी, मेहरा निवासी तहसील मुलताई वाले को राशि 850/—रूपये में विक्रय कर कब्जा दिया था। जिसकी चतुरसीमा उत्तर में रेल्वे लाईन दक्षिण में नाला पूर्व में खेत सुड़क्या मेहरा पश्चिम में उसी खसरा नं. का बचा हुआ, उसका रकबा है बचे रकबे के कब्जे में रामजी वल्द अन्तया कब्जे में रहकर कास्त करते थे। रामजी, बिरजलाल की सहमति से कब्जे में रहकर कास्त करता था। दिनांक 19/10/1959 लच्छु वल्द देवजी द्वारा उसकी खरीदी सम्पत्ति को दिनांक 09/04/1956 को खसरा नं. 32/1 रकबा 5.35 में से 4.45 डिसमिल भूमि नागो वल्द हीराचंद को विक्रय किया। दिनांक 19/04/1956 के विक्रय पत्र अनुसार ही चतुरसीमा का उल्लेख किया है। उक्त रकबे में 90 डिसमिल शेष बची थी। दिनांक 27/07/1962 को नागो ने उसकी उपरोक्त खरीदी जमीन को जुगती वल्द फागू को उक्त विवादित भूमि खसरा एवं

रकबा को विक्रय कर कब्जा प्रदान किया। दिनांक 28/12/1970 को जुगती वल्द फागू के द्वारा बिहारी को उक्त विवादित भूमि के खसरा रकबा को विक्रय कर कब्जा प्रदान किया। मौके पर उक्त विवादित भूमि में से 4.45 डिसमिल का ही विक्रय किया गया था और 90 डिसमिल भूमि पर कोई स्वत्व स्वामित्व न होकर वह कब्जे में भी नहीं थे।

प्रतिवादी कं. 1 व 2 के द्वारा राजस्व खातों में स्वत्व से अधिक जमीन पर उनका नामांतरण का अनुचित लाभ लेकर जमीन का सीमांकन कराया और सीमांकन रिपोर्ट जो वादीगण के पीठ पीछे तैयार करा दी गई। सीमांकन की सूचना की जानकारी सीमांकन करने वाले अधिकारियों द्वारा धारा 129 भू-राजस्व संहिता के नियमों के विपरित बनाई जाकर तहसीलदार आमला को प्रस्तुत की। सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवादी 1 व 2 ने वादीगण के विपरित धारा 250 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के तहत तहसीलदार आमला के न्यायालय में मामला दायर किया। जो राजस्व प्रकरण कं. 27अ / 70 वर्ष 2000 / 01 जिसके पक्षकार श्रीमति तुरसा बनाम रामजी वगैरह थे, चलाया। जिसमें तहसीलदार आमला द्वारा दिनांक 28 / 02 / 04 को आदेश पारित कर खसरा नं. 149 रकबा 2.165 में से 0.465 है0 पर कब्जा वादीगणों से प्रतिवादी कं. 1 व 2 को दिलाए जाने के आदेश दिए गए एवं दिनांक 20 / 04 / 04 को पटवारी द्वारा मौके पर वादीगण से रकबा 0.465 है0 पर जबरन कब्जा प्रतिवादी कुं0 1 व 2 को दिलाया गया जिसमें 90 डिसमिल खसरा नं0 149 की भूमि एवं शेष भूमि .100 आरे वादीगणों की अन्य जमीन खसरा नं. 119/1 में से 100 आरे पर कब्जा प्रतिवादी कुं 1 व 2 को करा दिया, जो कि अनुचित हैं इस जमीन पर वादीगण कब्जा वापसी का यह दावा प्रस्तूत करते है और उस जमीन के वादीगण स्वत्वधारी है। इस बात की घोषणा तथा दावा दिनांक से कब्जा मिलने तक अंतरिम लाभ हेतू यह दावा प्रस्तुत किया गया है। उक्त आधारों पर वादीगण ने अपना दावा स्वीकार किए जाने का निवेदन किया है।

6— प्रतिवादी कं0 1 व 2 ने वादी के वाद पत्र के समस्त अभिवचनों को अस्वीकार कर अपने जवाब में व्यक्त किया है कि पुराना खसरा नं. 32/1 जिसका नया नं. 149 का रकबा 5.35 एकड है, के भूमि स्वामी बिरज वल्द नागो तथा बिरज के नाबालिक पुत्र रामदास एवं दुलीचंद थे जिसकी पुष्टि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज 1956 के विक्रय पत्र से स्वमेव होती है। बिहारी वल्द बाजी कुन्बी निवासी देवगांव वाले ने पंजीयत विक्रय पत्र दिनांक 28/12/1970 के आधार पर देवगांव की कृषि भूमि खसरा नं. 32/1 का संपूर्ण रकबा 5.35 डिसमिल उक्त विक्रय पत्र में बताई गई चतुरसीमा के अनुसार क्रय किया है। वादग्रस्त भूमि के तत्कालिक भूमि स्वामी बिहारी व बाजी द्वारा पंजीयत विक्रय पत्र दिनांक 03/02/86 से वाद ग्रस्त भूमि प्रतिवादी कं 1 के पति प्रतिवादी कं 02 के पिता धनराज वल्द मनोहरी कुन्बी को 10

हजार रूपये में बेची गई है। केता धनराज ने बिहारी वल्द बाजी कुन्बी से वादग्रस्त भूमि का संपूर्ण रकबा 2.165 हे0 कय कर कब्जा प्राप्त किया है। केता धनराज वल्द मनोहरी के वारसान होने के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी कुं 1 व 2 का नाम राजस्व अभिलेखों में इंद्राज हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा उसकी भूमि स्वामी हक भूमि खसरा नं. 149 रकबा 2.165 हे0 का विधिवत् सीमांकन आवेदन तहसीलदार आमला के समक्ष प्रस्तुत कर सीमांकन करवाया। उक्त सीमांकन में रकबा 0.465 हे0 पर वादीगण का अवैध कब्जा पाए जाने से प्रतिवादीगण द्वारा विधिवत् वादीगण के विरूद्ध तहसील न्यायालय की धारा 250 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता के तहत मामला दायर किया।

- 7— तहसीलदार आमला के आदेश दिनांक 28/02/04 के पालन में राजस्व निरीक्षक आमला द्वारा प्रतिवादी कं. 1 व 2 को विधिवत रूप से उनकी भूमि पर कब्जा दिलाया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दावा समयाबाधित है। वादीगण के द्वारा उचिवत न्याय शुल्क अदा नहीं किया गया है। असत्य व निराधार आधारों पर दावा प्रस्तुत किया गया है। इस कारण वादीगण वांछित अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।
- 8— प्रतिवादीगण ने अपने अतिरिक्त कथन में व्यक्त किया है कि वादीगण द्वारा तहसीलदार आमला के न्यायालय में निर्णित रा.प्र.कं. 18अ/70 में दिनांक 30/07/01 को प्रस्तुत जवाब में वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 149 रकबा 2. 165 है0 जमा 50 पैसे मौजा दुरगवाड़ा की भूमि प्रतिवादी कं. 1 व 2 की होना स्वीकार किया है। उपरोक्त स्थिति में वादीगण का उपरोक्तानुसार कथन स्वीकारोक्ति होकर विबंधन अधिनियम का प्रभाव रखता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि जो कि उनके स्वत्व की भूमि है का विधिवत् सीमांकन भू—राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत करवाया है उक्त सीमांकन में प्रतिवादीगण की भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नं. 149 रकबा 2.165 हेक्टे0 में से रकबा 0.465 हे0 पर वादीगण का अवैध कब्जा पाया गया था। उक्त सीमांकन कार्यवाही को आज पर्यन्त वादीगण द्वारा कोई चुनौती किसी राजस्व न्यायालय में नहीं दिये जाने से उक्त सीमांकन कार्यवाही अंतिम होकर वादीगण पर बंधनकारक है।
- 9— वादीगण द्वारा न्यायालय से तथ्यों को छुपाते हुये दावा प्रस्तुत किया है। वादीगण द्वारा तहसील आमला में धारा 250 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता के अंतर्गत निर्णित रा.मा.कं. 18अ/70 वर्ष 2000—2001 में पारित आदेश दिनांक 28/02/2004 के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मुलताई के समक्ष अपील भी प्रस्तुति की थी। जिसका अपील प्रकरण कं. 67अ/70 वर्ष 2003—04 है जो स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है।

तहसीलदार आमला द्वारा अपीलीय न्यायालय के निर्देशों के तहत पुनः सुनवाई कर प्रकरण में दिनांक 30/08/07 को प्रतिवादीगण के पक्ष में आदेश पारित किया। उक्त आदेश दिनांक 30/08/2007 की अपील वादीगण द्वारा अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मुलताई के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसका अपील प्र0कं0 4अ/70 वर्ष 2007—2008 है जिसमें पारित आदेश दिनांक 18/09/2009 के द्वारा वादीगण का अपील निरस्त की गई है। उक्त अपीलीय न्यायालय के आदेश के विरूद्ध कोई अपील वादीगण द्वारा नहीं किये जाने से वादग्रस्त भूमि के संबंध में तहसीलदार आमला द्वारा पारित आदेश दिनांक 30/08/07 एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18/09/2009 अंतिम होकर वादीगण पर बंधनकारक है। वादीगण का दावा अवधि बाह्य होकर एवं वादकारण के अभाव में तथा विधि के प्रावधानों के तहत वर्जित होने से म.प्र. भू—राजस्व संहिता के प्रावधानों से बाधित होने से न्यायालय को इस प्रकार के मामले में क्षेत्राधिकार का अभाव होने से क्षेत्राधिकार से बाधित होने के आधार पर प्रथम दृष्ट्या ही निरस्ती योग्य हैं।

10— वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं दस्तावेज तथा प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार वाद प्रश्न विरचित किये गये है, जिनका मेरे द्वारा निराकरण कर उनके समक्ष निष्कर्ष मेरे द्वारा दिये जा रहे है, जो विचारणीय बिन्दु यह है कि :—

विचारणीय प्रश्न निष्कर्ष

1—''क्या ग्राम दुरगवाड़ा, तह० आमला, जिला बैतूल स्थित खा०नं० पुराना 32/1 रकबा 535 जिसका नया कं. 149 रकबा 535 एकड़ में से 90 डिसमिल वादपत्र में दर्शित चर्तुसीमा अनुसार तथा ख०नं० 119/1 रकबा .100 आरे भूमि वादीगण की एकमात्र स्वत्व आधिपत्य की भूमि है?

2—''क्या वादीगण की उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण ने अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है?

3—''क्या वादीगण, प्रतिवादीगण से उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है?

4—''क्या वादीगण, प्रतिवादीगण से दावा दिनांक से कब्जा प्राप्ति तक आदेश 20 नियम 18 के तहत अंतरिम लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है? 5- "सहायता एवं वाद व्यय?"

—:: निष्कर्ष एवं उसके आधार ::— —::विचारणीय प्रश्न कं0—1 का निराकरणः:—

- वादी साक्षी झनकलाल (वा०सा०-1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि अन्तया और नागो सगे भाई थे इनकी जमीनें ग्राम दुरगवाड़ा में थी जिनके पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार जमीनें बहुत साल पहले अलग-अलग कर ली थी। दूरगवाड़ा की खसरा नं0 32 / 1 रकबा 5.35 एकड में से 4.45 डिसमिल जमीन नागो को मिली थी एवं इसी जमीन का 90 डिसमिल का पश्चिम वाला भाग अन्तया को मिला था और साथ ही खसरा नं. 119/1 की 25 डिसमिल जमीन अन्तया को दी गई थी जिसके कब्जे में दोनों भाई अलग–अलग रहते चले आ रहे थे। खसरा नं0 32 / 1 में 90 डिसमिल जमीन अलग बताने को उत्तर-दक्षिण में मेड बनायी गई थी तो अभी भी कायम है जिस पर पलसे के वृक्ष खड़े है। नागो के मरने के बाद जमीन बिरज को मिली थी। बिरज ने उक्त 4.45 डिसमिल भूमि लच्छू को बेची थी इसी जमीन को लच्छू ने नागो वल्द ने नागो वल्द हिराचंद की बेची। नागो ने इसी जमीन को जुगती वल्द फागू को बेची, जुगती वल्द फागू ने बिहारी को वही खरीदी जमीन बेची थी परन्तु बैनामें में रकबा 4.45 एकड़ के स्थान पर 5.35 लिया दिया जबकि उसे उतनी बेचने का अधिकार नहीं था क्योंकि वह उतनी जमीन का मालिक नहीं था न बेचने को सक्षम था। बिहारी ने राजस्व खातों में अधिक भूमि पर नाम दर्ज करा जमीन की नपाई करा वर्ष 2004 में उक्त 90 डिसमिल जमीन और 0.25 डिसमिल जमीन जो उपर बतायी है पर जबरन कब्जा कर ले लिया है जिसका उसे अधिकार नहीं था। उसे खसरा नं. 32/1 नया नम्बर 149 का रकबा 90 डिसमिल एवं खसरा नं. 119/1 रकबा 0.100 आरे स्थित मौजा दूरगवाडा को उसके पिता के मरने के बाद अब वह मालिक है घोषित कर कब्जा दिलाये जावे और नुकसानी दिलवायी जावे।
- 12— वादी झनकलाल मौखिक साक्ष्य के अनुसार एवं वादपत्र की कंडिका 2, 10 के अनुसार विवादित भूमि ग्राम दुरगवाड़ा, तहसील आमला, जिला बैतूल में स्थित भूमि पूराना खसरा नं. 32/1 नया खसरा नं. 149 रकबा 5.35 खसरा नं. 119/1 में से 100 आरे भूमि वादीगण के खानदानी भूमि होना बताया है।
- 13— किन्तु इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 11 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उक्त खानदानी जमीन का कोई कागज पेश नहीं किया है। आगे यह भी स्वीकार किया है कि नागो और अन्तया के शामिल सरीक के कोई कागज पेश नहीं किया है। आगे इस गवाह से प्रश्न किया गया है कि नागो और अन्तया की कितनी शामिल सरीक सम्पत्ति थी तो इस गवाह ने उत्तर दिया है कि

उसके सामने दुरगवाड़ा जमीन की अलग—अलग खेती करते थे। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 12 में स्वीकार किया है कि ग्राम दुरगवाड़ा की जमीन का उसके सामने कोई बटवांरा नहीं हुआ। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उसके सामने खानदानी जमीन का बटवांरा नहीं हुआ इसलिए वह नहीं बता सकता कि ग्राम दुरगवाड़ा की खानदानी जमीनों के बटवांरे कैसे—कैसे हुए। आगे यह भी व्यक्त किया है कि उसने जमीनों के कोई पारिवारिक व्यवस्था पत्र पेश नहीं किया है। आगे यह भी व्यक्त किया है कि नागो और अन्तया के बीच कोई पारिवारिक व्यवस्था पत्र बना था या नहीं इसकी उसे जानकारी नहीं है। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि नागो को बटवांरे में कौन से खसरा नं. की जमीन मिली।

- 14— इस प्रकार स्वयं वादी के द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए गए स्वीकृत तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि वादी के द्वारा खानदानी जमीन है। इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है और इस गवाह को बटवांरे में नागो और अन्तया को कितनी जमीन प्राप्त हुई थी यह भी कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में स्वयं वादी के द्वारा स्वीकृत तथ्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि विवादित भूमि वादीगण की खानदानी भूमि है या वादीगण को बटवांरे में प्राप्त हुई है तब से काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे है।
- 15— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 13 में व्यक्त किया है कि बिरज को 5.35 एकड़ उसके बटवारे में मिली थी और रेवजी को 4 एकड जमीन बटवारे में मिली थी अन्तया को बटवारे में 9 एकड जमीन मिली थी। उसमें से ही 3—3 एकड जमीन उसके लडके रामजी, मुन्नालाल और रघुनाथ को बटवारे में जमीन मिली थी। किन्तु उक्त संबंध में वादीगण के द्वारा ऐसे कोई संशोधन पंजी या अधिकार अभिलेख या बटवारे से संबंधित कोई भी दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए है जिससे यह माना जा सके कि विवादित भूमि वादीगण को बटवारे में प्राप्त हुई थी।
- 16— वादी द्वारा अपने वाद पत्र में वारसानों को भी स्पष्ट रूप से दर्शित नहीं किया है कि उनके पूर्वज कौन थे उनके पूर्वजों से उनके पिता को कौन—कौन सी भूमि प्राप्त हुई जिससे की वह एक मात्र भूमि स्वामी माना जा सके। जिससे की वादी को विवादित भूमि का एक मात्र स्वत्व माना जा सके। जहां तक वादी ने अपने वादपत्र में और साक्ष्य में बताया है कि विवादित भूमि बिरज ने लच्छु को बेची, लच्छु ने नागो को बेची, नागो ने जुगती को बेची ओर जुगती ने बिहारी को बेची। वादी ने स्वयं अपने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 13 में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि बिरज को 5.35 एकड उसके बटवारे में मिली थी। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में स्वयं वादी के द्वारा

बताया जाना कि बिरज को 5.35 एकड बटवारे में प्राप्त हुई तो वह उसकी स्व अर्जित भूमि है और वह उसे विक्रय कर सकता है उसे विक्रय करने से नहीं रोका जा सकता। वादी के द्वारा अपने पक्ष समर्थन में ऐसे कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किए गए है कि बिरज वादी का पूर्वज है और उक्त भूमि उन्हें बटवारे में प्राप्त हुई है।

17— वादी ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 10 में व्यक्त किया है कि भुजबल के दो लड़के नागो और अन्तया थे। नागो के दो लड़के बिरज और रेवजी थे और अन्तया के तीन लड़के रामजी, मुन्नालाल और रघुनाथ थे। उक्त वंशावली जो प्रतिपरीक्षा में बताई है उस अनुसार भी बिरज के वारसान वादीगण नहीं है और बिरज की सम्पति को बिरज के वारसान ही प्राप्त करेगें या उसकी भूमि के संबंध में हक मांगने का अधिकार उसके वारसानों को ही होगा वादीगणों को किसी प्रकार से बिरज की भूमि पर हक मांगने का अधिकार नहीं है।

वादी साक्षी पारन्या (वा०सा०-2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दूरगवाड़ा का बड़ा खेत जो करीब साढ़े पांच एकड़ से थोड़ा कम है में से 90 डिसमिल का तुकड़ा अन्तया जोतता था, और करीब साढ़े चार एकड जमीन नागो जोतता था। नागो का लडका बिरज है। जिसने उसकी जमीन लच्छु को बेची थी। वही जमीन लच्छु ने नागो वल्द हिराचंद देहगुढ़ वाले को बेची थी। वही जमीन लच्छु ने नागो वल्द हिराचंद देहगुढ वाले को बेची थी। नागो ने वही जमीन जुगती वल्द फागू साकिन देवगांव वाले को बेची जिसमें एक एकड़ जमीन ज्यादा लिखाने में आ गई वह एक एकड जमीन रामजी की है। जिस पर तुरसा ने जबरन कब्जा ले लिया है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि उसके सामने अन्तया नागो चागो के कभी बटवांरा नहीं हुए। आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसके समाने बटवारे नहीं हुए इसलिए वह नहीं बता सकता कि अन्तया, नागो चागो के बटवांरे कैसे ह्ये। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में व्यक्त किया है कि उसे झगड़े वाली जमीन का खसरा रकबा न का ख्याल नहीं है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में व्यक्त किया है कि झगडे वाली जमीन किसने कब खरीदी है उसे नहीं मालूम वह बहुत परानी बात है। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह सपष्ट नहीं होता है कि विवादित भूमि वादीगण को या उनके पूर्वजों को बटवांरे में प्राप्त हुई थी जिसका उन्हें स्वत्व व आधिपत्यधारी माना जा सके।

19— वादी साक्षी मारोति (वा०सा०3) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि रामजी की खानदानी जमीन ग्राम दुरगवाड़ा की देखी है उस जमीन से लगकर दक्षिण में उसका खेत है उक्त जमीन फागू की लड़की जुगती ने बेची है। बिहारी को जमीन बेची है वह जमीन पहले बिरज जोतता था और उससे लगा करीब एक एकड का

दुकडा रामजी जोतता था इस जमीन को अलग—अलग बताने के लिए उत्तर दक्षिण मेड़ बनी थी जिसमें पिश्चम दिशा की जमीन रामजी जोतता था। पूर्व दिशा की जमीन बिरज जोतता था और उसी जमीन से लगी करीब 100 आरे की जमीन रामजी की थी। जिसके कब्जे में रामजी था। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में व्यक्त किया है कि अन्तया को उसने नहीं देखा नागो, चागो को भी नहीं देखा। आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसकी शादी होने के पहले बिरज और अन्तया की मृत्यु हो गई थी। आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसने अन्तया और बिरज को नहीं देखा इसलिए उसे उन लोगों के पास ग्राम दुरगवाड़ा में कितनी—कितनी जमीन थी उसे नहीं मालूम। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए गये स्वीकृत तथ्य से स्पष्ट होता है कि बिरज और अन्तया को कितनी भूमि प्राप्त हुई वादीगण के पूर्वजों की दुरगवाड़ा में कितनी जमीन थी उसकी उसे जानकारी नहीं है।

वादी ने अपने समर्थन में प्र0पी0 1 का दस्तावेज ग्राम दुरगवाड़ा का 20-खसरा नं. 149 का प्रस्तुत किया है। प्र0पी0 2 का दस्तावेज किस्तबंदी खतौनी वर्ष 2009–10 का प्रस्तुत किया है जिसमें खसरा नं. 149 रकबा 2.165 तुरसा बेवा धनराज के नाम से उल्लेख है। प्र0पी० 3 का दस्तावेज वर्ष 2010 का प्रस्तुत किया है जिसमें खसरा नं. 149 रकबा 2.165 भूमि तुरसा बेवा धनराज के नाम से उल्लेख है। प्र0पी0 4 का दस्तावेज नगरी तथा नगरोत्तर क्षेत्र का अधिकार अभिलेख वर्ष 1961–62 का प्रस्तुत किया है जिसमें पुराना खसरा नं. 32/1 नया खसरा नं. 149 रकबा 5.35 / 2.165 बिहारी वल्द बाजी का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है तथा कॉलम नं. 11 में जुगती ने दिनांक 28/12/70 को चार हजार रूपये में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदी का उल्लेख है। प्र0पी0 5 का दस्तावेज पंचनामा सत्य प्रतिलिपि है जिसमें खसरा नं. 149 रकबा 2.165 में से 0.465 हे0 भूमि का अनावेदक रामजी से कब्जा दिलाया गया है, का उल्लेख है। उसी प्रकार प्र0पी0 6 का दस्तावेज तहसीलदार आमला के समक्ष प्रतिवेदन पेश किया गया है जिसमें विववादित भूमि का कब्जा दिए जाने का उल्लेख है। प्र0पी० ७ सूचना पत्र हैं प्र0पी० 8 का दस्तावेज तहसीलदार आमला न्यायालय का आदेश दिनांक 28/02/04 का आदेश है जिसमें मौजा दुरगवाडा प०ह०नं० 14 स्थित आवेदकगण की भूमि स्वामी हक भूमि खसरा नं. 149 रकबा 2.165 हे0 में से रकबा 0.465 हे0 पर अनावेदकगण द्वारा किया गया अवैध कब्जा तत्काल हटाकर आवेदिका को उसकी भृमि सौंपे का उल्लेख है।

21— प्र0पी0 9 का दस्तावेज रिजस्टर्ड विक्रय पत्र की सत्य प्रतिलिपि जो कि दिनांक 09/04/1956 का है जिसमें कच्छु के द्वारा बिरज से खरीदी गई भूमि जिसमें खसरा नं. 32/1 रकबा 5.35 में से रकबा 4.45 को विक्रय करने का उल्लेख है। उसी प्रकार प्र0पी0 10 का दस्तावेज रिजस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14/11/59 को विवादित भूमि नागों से लच्छु के द्वारा क्रय किये गए संबंध में उल्लेख है। प्र0पी0 11 का रिजस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27/07/62 का खसरा नं. 32/1 रकबा 5.35 में से 4.45 भूमि का जुगती को द्वारा नागों से खरीदी गई का उल्लेख है। प्र0पी0 12 का दस्तोवज विक्रेता श्रीमित जुगतीबाई क्रेता बिहारी के द्वारा दिनांक 28/12/70 का रिजस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार खसरा नं. 32/1 रकबा 5.35 पूरा बेचा है जो मैने खरीदा था वही आपको बेचा है।

22— इस प्रकार विवादित भूमि खसरा नं. 32/1 रकबा 5.35 में से रकबा 4.45 है0 भूमि विक्रय करने का उल्लेख है किन्तु शेष भूमि में वादी का स्वत्व है, उस संबंध में वादी द्वारा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किए गए है, जिससे यह माना जा सके कि खसरा नं. 32/1 नया खसरा नं. 149 रकबा 5.35 में से 90 डिसमिल भूमि तथा खसरा नं. 119/1 रकबा 0.100 भूमि का वादी स्वत्व व आधिपत्यधारी है।

23— भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा—101 के अनुसार सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है, जो जिस चीज को कहता है, उसे वह साबित करना होता है। उक्त अधिनियम अनुसार वादी पर ही सबूत का भार है और वादी के द्वारा खानदानी भूमि होने एवं विवादित भूमि उसके स्वत्व की होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादीगण की साक्ष्य या दस्तावेजों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक नहीं है। इस कारण प्रतिवादी की साक्ष्य एवं दस्तावेजों का विश्लेषण नहीं किया जा रहा है क्योंकि वादी को ही दावा साबित करना है और उसके द्वारा साबित नहीं किया गया है, उसे प्रतिवादी की साक्ष्य व दस्तावेजों का किसी प्रकार से लाभ प्राप्त नहीं होता है।

24— वादीगण द्वारा 7 पेज का लिखित तर्क प्रस्तुत किया है, संपूर्ण लिखित तर्क लिखा जाना उचित नहीं है, संक्षेप में लिखित तर्क इस प्रकार हैं कि वादी साक्ष झनकलाल ने बताया कि अन्त्या और नागों दो भाई थे, दुरगवाड़ा में जमीन थी पारिवारिक व्यवस्था में जमीन अलग—अलग कर ली थी। खसरा नम्बर 32/1 रकबा 5.35 में से 4.45 नागों को मिली थी और इसी जमीन का 90 डिसमिल अन्त्या को मिली थी। अलग—अलग बताने के लिये उत्तर—दक्षिण मेड़ बंधी थी, जो अभी भी कायम है, उस पर पलसे के वृक्ष खड़े है, नागों के मरने के बाद जमीन बीरज को मिली जिसमें 4.45 डिसमिल जमीन लच्छु को बेची, लच्छु ने वही नागों वल्द हिराचन्द को बेची जिसे नागों ने वही खरीदी वाली जमीन जुकती को बेची। जुकती ने वही खरीदी जमीन बिहारी को बेची थी परन्तु बैनामें में 4.45 के सीीन पर 5.35 लिख दिया गया जबिक उसे बेचने का अधिकार नहीं था क्योंकि वह उतनी जमीन की मालिक नहीं थी न वह बेचने को सक्षम थी। बिहारी की पोत बहु तुरसा ने राजस्व खातों में अधिक भूमि पर नाम दर्ज होने का फायदा लेकर जमीन की नपाई

2001 में करायी, 2004 में उक्त 90 डिसमिल और 25 डिसमिल जो उपर बतायी है पर जबरन कब्जा कर लिया। जमीने 2004 के पहले रामजी और झनकलाल के कब्जे में थी जिसका रकबा 1.15 डिसमिल है दोनों जमीने लगी ह्यी है। झनकलाल ने खसरा नम्बर 32/1 नया नम्बर 149 का रकबा 90 डिसमिल एवं खसरा नम्बर 119/1 का रकबा 100 आरे दुरगवाडा का मालिक घोषित कर कब्जा व नुकसानी का दावा पेश किया है। साक्षी ने तुरसा और भामा ने कब्जा किया है जिनसे कब्जा मांगा है। साक्षी ने अपने पक्ष समर्थन में पुराने बैनामे बिरज वल्द नागों द्वारा बेचे गये और उसके बाद हुये समय-समय पर हुये बैनामों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ पेश की गई है जिसमें जुकती की खरीदी तक खसरा नम्बर 32/1 का 5.35 में से 4.45 डिसमिल बेचा जाना लिखा है और यह लेख है कि पूर्व के बैनामें के अनुसार भूमि क्य की है और उसके बाद के बैनामों में 5.35.पूरा लिखने में आ गया है जबकि जुकती ने जो बैनामा बिहारी को किया जो प्रदर्श पी० 12 है में लिखा है जो मैने खरीदी वही बेचा है बैनामें में जो आगे गलती हुयी की वह हिस्से भी स्पष्ट होता है कि शुरू से आखरी तक के हुये बैनामों में प्रदर्श पी010, प्रदर्श पी011, प्रदर्श पी012 में बिकी जमीन की चतुरसीमा एक समान लिखी है अर्थात यह स्पष्ट है कि चतुरसीमा के अन्दर की जमीन बिकी है जो 4.45 डिसमिल होती है, यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां रकबे और चतुरसीमा विवाद हो तब चतुरसीमा को माना जावेगा। उपरोक्त लिखित तर्क का लाभ वादीगण को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि वादीगण के द्वारा अपने पक्ष समर्थन में खानदानी भूमि होने के संबंध में एवं वादीगण द्वारा विवादित भूमि में स्वत्व से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया या किस प्रकार विवादित भूमि में वादीगण का स्वत्व है उस संबंध में भी कोई दस्तावेज पेश नहीं है।

25— वादीगण ने अपने पक्ष समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत—सुरेशचन्द जैन विरूद्ध डॉ.अजीज अहमद—1990एम.पी.जे.आर.723, माननीय उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत <u>चमरासिंग विरूद्ध रामबारिब—1978(।।)—एम. पी.डब्ल्यु.एन.302,</u> मान.उच्च्तम न्यायालय का न्यायदृष्टांत सेवाराम विरूद्ध युनियन ऑफ इंडिया—1997(1) म.प्र.विकली नोट्स—240, मान.उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत पीरवक्श विरूद्ध तुलसिया—1991(2)—म.प्र.वि.नो.—1985, मान. उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत केलाशचन्द्र विश्वकर्मा विरूद्ध सरोजिनी महूले 2007(2)म.प्र.वि.नो.23, मान. उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत विलीपबाई विरूद्ध शिवचरण तथा अन्य 1987 रा.नि. 425 को प्रस्तुत किया है। उक्त न्यायदृष्टांतों की तथ्य एवं परिस्थितियाँ इस प्रकरण से मिन्न होने के कारण उक्त न्यायदृष्टांतों का लाभ वादीगण को प्राप्त नहीं होता। 26— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि

वादीगण विवादित भूमि ग्राम दुरगवाड़ा, तह० आमला, जिला बैतूल स्थित खा०नं०

पुराना 32/1 रकबा 535 जिसका नया कं. 149 रकबा 535 एकड़ में से 90 डिसमिल वादपत्र में दर्शित चर्तुसीमा अनुसार तथा ख0नं0 119/1 रकबा .100 आरे भूमि वादीगण की एकमात्र स्वत्व आधिपत्य की भूमि है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 1 का निराकरण ''अप्रमाणित'' रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कं 2 व 3 का निराकरण

27— विचारणीय प्रश्न कं. 1 से यह स्पष्ट हो चुका है कि विवादित भूमि पर वादी स्वत्व व आधिपत्यधारी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादीगण का विवादित भूमि में अनाधिकृत रूप से कब्जा नहीं माना जा सकता और ना ही विवादित भूमि का कब्जा दिलाया जा सकता है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं0 2 व 3 का निराकरण ''अप्रमाणित'' रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कं 04 का निराकरण

28— विचारणीय प्रश्न कुं 1 से यह स्पष्ट हो चुका है कि वादीगण विवादित भूमि के एक मात्र स्वत्व व आधिपत्यधारी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वादीगण को प्रतिवादीगण से दावा प्रस्तुति दिनांक से कब्जा प्राप्ति तक आदेश 20 नियम 18 के तहत अंतरिम लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 4 का निराकरण ''अप्रमाणित'' रूप किया जाता है।

सहायता एवं वाद व्यय

- 29— वादीगण अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः निम्न आशय की डिकी एवं आज्ञप्ति पारित की जाती है।
 - 1— वादीगण अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः वादीगण का दावा निरस्त किया जाता है।
 - 2- वादीगण स्वयं का तथा प्रतिवादीगण का वाद व्यय वहन करेगा।
 - 3— अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियामानुसार देय हो।

उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर कम्प्यूटर पर टंकित किया गया।

(धनकुमार कुडोपा) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 आमला जिला बैतूल म0प्र0 (धनकुमार कुडोपा) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 आमला जिला बैतूल म0प्र0